निदेशालय, राज्य परिवहन, हरियाणा

30–बेज बिल्डिंग, द्वितीय तल, सैक्टर–17, चण्डीगढ
फोन नं0 0172–2708035, ई–मेलः dtctrhr@gmail.com

सेवा में,   ई–मेल के माध्यम से

सभी महाप्रबंधक,
हरियाणा राज्य परिवहन।

क्रमांक   /टी0आई0–5   दिनांकः–

विषयः– **ओवरटाईम देने की स्वीकृति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय बारे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1148/टी0आई0–5 दिनांक 17.04.2023 व पत्र क्रमांक 2724–47/टी0आई0–5 दिनांक 09.08.2023 के लगातार में।

इस सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा राज्य परिवहन के विभिन्न आगारों ने मुख्यालय द्वारा ओवरटाईम प्रदान करने बारे जारी किए गए उक्त पत्रों में संशोधन/छूट देने बारे किए गए अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 4414–37/टी0आई0–5 दिनांक 24.09.2025 जारी करके शाखा अनुसार कर्मचारियों की डयुटियों बारे आपत्ति/सुझाव मांगे गए थे, जिनका अवलोकन कर लिया गया है।

अतः अवलोकन उपरान्त आपको निर्देश दिए जाते हैं कि मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक, उप–निरीक्षक इत्यादि कर्मचारियों की कमी के कारण शाखाओं में चालक/परिचालकों को दी गई तालिका अनुसार नियुक्त किया जा सकता हैः–

1. शाखावार कर्मचारियों की गणना।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	आगार में नियुक्ति हेतु कर्मचारियों की संख्या	उपकेन्द्र में नियुक्ति हेतु कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
1	कार्यशाखा	डी0आई0 + 5 + 2 चालक	डी0आई0 + 3 + 1 चालक	
2	बुकिंग शाखा	बी0आई0 + 4 + 1 रात्रि शिफट	बी0आई0 + 3 + 1 रात्रि शिफट	क्योंकि वर्तमान में टिकट बॉक्स ई–टिकटिंग मशीन में बनाने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है।
3	कैश शाखा	4 + 1 रात्रि चौकीदार	2 + 1 रात्रि चौकीदार	
4	यातायात शाखा	सी0आई0 + 4	0	
5	पार्किंग डयुटी	मुख्य बस अडडे पर सुबह, शाम व रात्रि डयुटी व साप्ताहिक विश्राम सहित 3 कर्मचारी	साप्ताहिक विश्राम सहित 2 कर्मचारी	प्रत्येक बस अड्डा जहां पर न्यूनतम 10 अन्तर्राज्यीय बसें आती हैं, उन पर 3 कर्मचारी
6	स्टैण्ड डयुटी	3 काउंटर पर 1 कर्मचारी	3 काउंटर पर 1 कर्मचारी	
7	अग्रिम बुकिंग डयुटी	10 मिन्टस से कम की फ्रीक्वैन्सी पर प्रति काउन्टर 3 परिचालक व 10 मिन्टस से अधिक की फ्रीक्वैन्सी पर प्रति काउन्टर 1 परिचालक	10 मिन्टस से कम की फ्रीक्वैन्सी पर प्रति काउन्टर 3 परिचालक व 10 मिन्टस से अधिक की फ्रीक्वैन्सी पर प्रति काउन्टर 1 परिचालक	वर्तमान में अग्रिम बुकिंग के लिए किसी परिचालक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई–टिकटिंग मशीन में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तथा प्रावधान होने उपरान्त अग्रिम बुकिंग के लिए यह फार्मूला उपयोग किया जाएगा।
8	यार्ड शाखा	यदि यार्ड मास्टर की उपलब्धता नहीं है, तो ईन्चार्ज सहित 4 कर्मचारी पर्याप्त है।		
9	ड्राईवर ट्रेनिंग स्कूल	स्टाफ की गणना अलग की जाए।		
10	इलैक्ट्रिक बस	स्टाफ की गणना अलग की जाए।		

उपरोक्त के अलावा आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं:–

1. इसके अलावा अन्य शाखायें जिनमें चालक/परिचालक कार्यरत हैं, केवल उसी स्थिति में चालक/परिचालक नियुक्त किए जा सकते हैं, यदि सम्बन्धित स्टाफ की कमी है। महाप्रबन्धक पूर्ण औचित्य सहित मुख्यालय को अवगत करवाते हुए अनुमति प्राप्त करेंगे।

2. किसी भी स्थिति में जिलों के बाहर अन्य डयुटियों पर कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्थान पर विभागहित में आवश्यकता है तो महाप्रबन्धक पूर्ण औचित्य सहित मुख्यालय को भेजेगा, जिस पर माननीय महानिदेशक महोदय निर्णय लेंगें। जो कर्मचारी वर्तमान में जिले से बाहर कार्यरत हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से मार्ग डयुटी पर नियुक्त किया जाए।

3. जिले के अधीन अन्य डयुटियों पर कार्यरत चालक/परिचालक को बसों की संख्या के मध्यनजर नियुक्त किया जाएगा और यह नियुक्ति केवल विभागहित में ही होनी चाहिए। महाप्रबन्धक पूर्ण औचित्य सहित मुख्यालय को अवगत करवाएंगे कि इन डयुटियों से विभाग को क्या लाभ है?

4 अन्य डयुटियों पर जहां आवश्यकता है, वहां केवल मैडिकल आधार वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। उनके अलावा अगर आवश्यकता है तो उन सीटों पर कार्य करने के योग्य व इच्छुक कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जाएगा।

5. अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन सम्बन्धित विभाग को ही अदा करने बारे पत्र लिखा जाए। यदि उक्त विभाग उन कर्मचारियों का वेतन अदा नहीं करते तो सम्बन्धित महाप्रबन्धक इन कर्मचारियों को वापस बुलाकर कार्य लें।

6. मुख्यालय द्वारा यदि कर्मचारियों को अन्य आगारों में डिप्यूट किया हुआ है तो उन कर्मचारियों की गणना वही आगार करेगा जिसमें कर्मचारी डिप्यूट है।

7. जिन कर्मचारियों को मुख्यालय द्वारा अन्य स्थानों पर नियुक्त किया हुआ है अथवा जो कर्मचारी मुख्यालय में कार्यरत हैं, उन कर्मचारियों की गणना मार्ग पर कार्यरत स्टाफ से घटा कर ही गणना की जाए।

8. कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कम होने पर (लिपिक, सहायक, निरीक्षक/उपनिरीक्षक, यार्डमास्टर इत्यादि) उनके स्थान पर कार्यरत चालकों/परिचालकों की संख्या उपलब्ध चालकों/परिचालकों की संख्या से घटाकर उपलब्ध बसों के नोर्म के आधार पर ओवरटाईम निर्धारित किया जाए।

—Sd—

कृतेः निदेशक, राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ।

पृ0 क्रमांक 1231 /टी.आई.–5 दिनांकः– 03-03-2026

इसकी एक प्रति System Executive Officer, परिवहन विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

कृतेः निदेशक, राज्य परिवहन,
हरियाणा चण्डीगढ।